वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादपत्र में वर्णित तहसील हनुमानगढ़ के चक 27 एन. डी.आर. के खाता संख्या 32/53 सम्वत 2075–2078 में वर्णित कुल तादादी 3.239 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिहं के नाम दर्ज 2.219 हिस्सा दर 2/3 हिस्सा में वादी संख्या 1 मनप्रीत सिहं को 1.012 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 2 कुलदीप सिहं को 0.759 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 0.448 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिहं का यथावत रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner